19/5/25 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। दौराने बहस वकील अपीलांट का कथन रहा कि अपील विषय आराजी किता 6 कुल रकबा 3.3221 हैक्टेयर एवं अन्य भूमि खसरा सं.24 रकबा 3.0760 हैक्टेयर वाकेग्राम उलेडा में स्थित है। उक्त भूमियां पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमियां है, जो मूल पुरूष रघुनाथ जी से प्राप्त होना जमाबंदी संवत 2028–2047 से प्रमाणित है। अपीलांट ने दिनांक 08.04.22 को उक्त भूमियों की जमाबंदी की नकले निकलवाई, तो उसे प्रथम बार जानकारी हुई कि उक्त भूमियों में उसके पिता भैरूजी के वारिसान में उसका नाम अंकित नहीं है, तब राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की गई। जिससे जानकारी मिली कि रेस्पो.सं.13 धापूबाई पत्नी महादेव द्वारा खातेदार भैरू के हिस्से 1/6 की वसीयत के आधार पर अपने खाते लगाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इंतकाल सं.1334 दिनांक 27.01.22 तस्दीक किया जाकर अपील विषयक आराजी धापूबाई के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि होने से सहखातेदार भैरू को उसकी 1/6 हिस्से की भूमि को वसीयत करने का कानूनी अधिकार नहीं है जबकि भैरू ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि बाबत 20–25 वर्ष पूर्व ही अपने दोनों पुत्रों महादेव व सत्यनारायण के मध्य मौके पर बटवारा कर कब्जा संभला दिया था। ऐसे में अपीलांट के कब्जाकाश्त की भूमि को भैरू द्वारा वसीयत करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार उक्त वसीयत पूर्णरूपेण प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी इन्तकाल खोला जाना वैधानिक त्रुटि है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट की ओर से 1982 RRD पेज 332 एवं 1984 RRDपेज 45, 1998 RRD पेज 319 की नजीरे पेश कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म को में जारी
	33/अपील/22 सत्य नारायण/निशा स्वाई	

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2, 3, 4 व 13 द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि श्रीमती धापूबाई पत्नी महादेव जाति गूजर निवासी उलेडा द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 30.08.2018 के आधार पर उक्त भूमि स्वयं के खाते लगाने बाबत निवेदन कर नायब तहसीलदार बून्दी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सभी हितबद्ध पक्षकारान व गवाहान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वसीयत की सत्यता गवाहों के बयानों से प्रमाणित पाये जाने पर वसीयत के आधार पर भूमि वसीयतगृहिता धापूबाई के खाते दर्ज करने का आदेश दिनांक 17.01.22 पारित किया गया। बाद सुनवाई पक्षकारान पारित उक्त आदेश के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण सं. 1334 अविवादित नहीं है। इसलिए उक्त नामा0 को धारा 135(2) एलआर एक्ट के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,कोटा के न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी। इस न्यायालय को इस अपील को सुनने का अधिकार नहीं होने से अपील क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के आधार पर ही खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2003 RRD पेज 68, 2002 RRD पेज 671 2019 DNJ(1) पेज 336, 2021 DNJ पेज 434 की नजीरें पेश की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट हुआ है कि नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल नं. 10/2021 पर निर्णय दिनांक 17.01.2022 पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी धापूबाई द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 30.08.2018 के संबंध में गवाहों व संबंधित पक्षकारों को जर्ये नोटिस तलब किया गया। जिसमें प्रार्थी धापूबाई के पति महादेव, गवाह प्रभूलाल व गवाह नारायण सिंह द्वारा उक्त वसीयत को प्रमाणित बताया। अन्य पक्षकार बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना आदेश में अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.01.22 अविवादित नहीं होकर विवादित प्रकरण था, जिसके आधार पर स्वीकृत नामा0 आदेश भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत आता है और ऐसे आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (F) के अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख (संभागीय आयुक्त) के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	33/अपील/22 सत्यनारायण / किशोरबाई	
	इस कारण हस्तगत अपील श्रवणाधिकार के अभाव में इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा श्रवणाधिकार के आधार पर सुनवाई हेतु अपील की मूल पत्रावली अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा को हस्तान्तरित की जाती है। पक्षकारान को आगामी नियत पेशी दिनांक 23.06.2025 को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल पत्रावली अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा को भिजवाई जावे। जिला कलेक्टर, बून्दी	